

02.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त व स्वयं अपीलान्त को निरन्तर कई बार आवाजे लगवाई गई। किन्तु उपस्थित नहीं आये पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली दिनांक 18.2.2016 से रेस्पोंडेन्टान के सम्मन तलबाना पेश करने हेतु जैरकार है, इस दरमियान वकील अपीलान्त को समुचित 25 अवसर दिये जा चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वकील अपीलान्त अपील को आगे चलाने हेतु इच्छुक नहीं है। अतः पत्रावली वकील अपीलान्त की अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम बाद जाब्ता दाखिल दफ़्तर हो

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

25/2/19